

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)


प. 5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट

जयपुर दिनांक 02/03/2017

आज्ञा

राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (Transfer TA) एवं कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) के संबंध में जारी इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 09.09.2016 एवं आज्ञा क्रमांक प. 5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 13.12.2016 के अधिक्रमण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि इस संबंध में स्थानान्तरण से संबंधित आदेशों के अन्तर्गत देय स्थानान्तरण यात्रा भत्ता व कार्यग्रहण काल के प्रकरणों का निस्तारण वित्त विभाग द्वारा जारी निम्नांकित परिपत्रों के अनुसार किया जावे :-

- (1) परिपत्र क्रमांक- प. 7(3) वित्त/नियम/98 दिनांक 02.06.2005
- (2) स्पष्टीकरण क्रमांक- प. 12(6) वित्त/नियम/2005 दिनांक 21.08.2007


(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

मानक वितरण